



August 9, 2026

BSE Limited

Corporate Services Department
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Symbol: QUINT

Scrip Code: 539515

Subject: Newspaper Advertisement

Reference: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published on August 9, 2026, in the English daily Financial Express (all editions) and the Hindi daily Jansatta (Delhi edition), regarding the financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2026.

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e. www.quintdigital.in.

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely

For Quint Digital Limited

Tarun Belwal

Company Secretary & Compliance Officer

M.No: A39190

Encl: As above

QUINT DIGITAL LIMITED

Registered Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 Tel: 011 45142374

Corporate Office: Carnoustie Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel: 0120 4751818

Website: www.quintdigital.in, email: cs@thequint.com, CIN: L63122DL1985PLC373314

जनसत्ता

क्लासीफाईड

व्यक्तिगत

I, Isaraj Jan Ansari W/O Hanif Ansari R/O Plot No.1738, 12, Dayal Puram, Naubasta, Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208021, Have changed my name to Israt Hajan.

0040870170-2

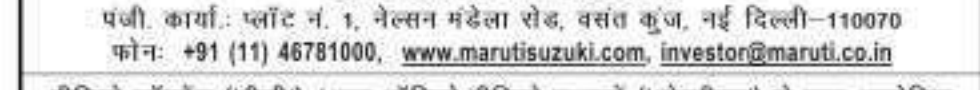
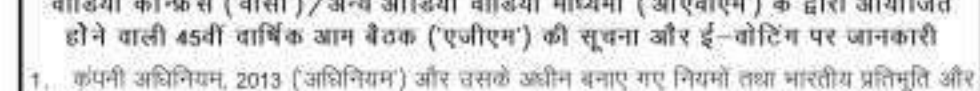
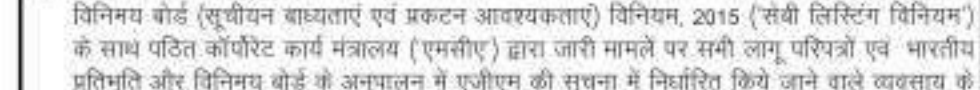
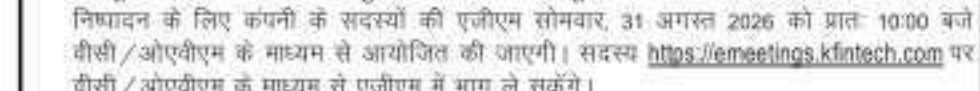
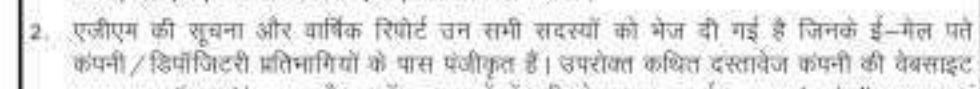
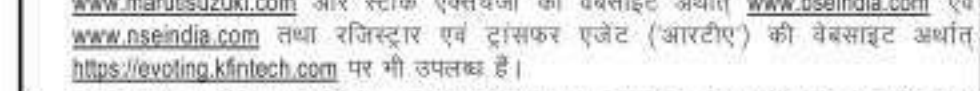
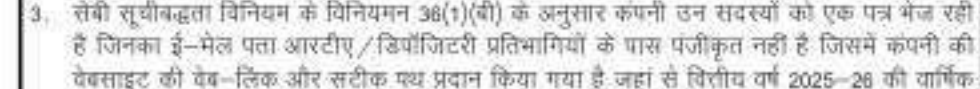
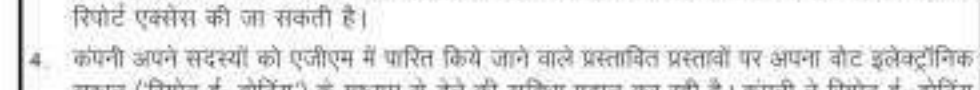
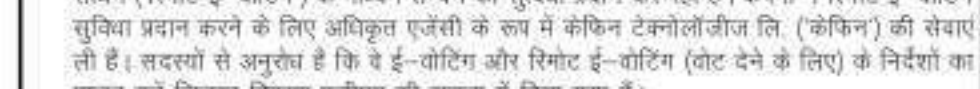
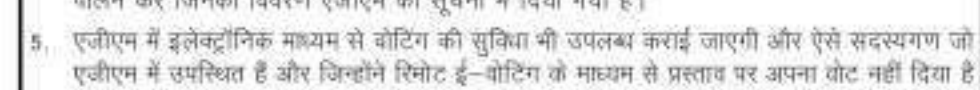
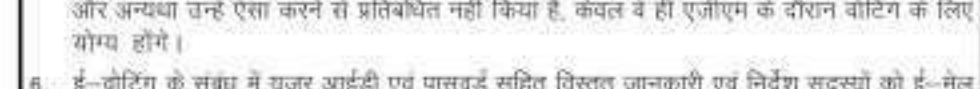
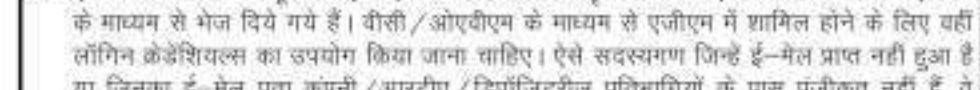
	माननीय ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।। बैंगलोर के सम्मर्भ में कर्नाटक हेतु बीएसएनएल लिडिंग, चौथी मंजिल, टेलीफोन हाउस, राजमनन रोड, बेंगलुरु-560001
	ओ ए. सं. 2145/ 2024
	मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, एन आर रोड शाखा, नं. 1, पहली मंजिल, नाज कोम्प्लेक्स, तीसरा फ्लोर, एनआर रोड, बैंगलोर-560002
	आवेदक
	बनाम
	श्री नीरज सिंह पुत्र श्री मनोज सिंह, शी-021, एंकीर हाउसड, सेक्टर-71, बादशहापुर, पुडुगांव, हरियाणा-122010
	अतिवादी
	ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 23(VIII) के अंतर्गत प्रस्तावित सं. 1 को कागजी प्रकाशन के माध्यम से जारी समन
	प्रतिवादी नं. 1: श्री नीरज सिंह पुत्र, श्री मनोज सिंह, शी-021, एंकीर हाउसड, सेक्टर-71, बादशहापुर, पुडुगांव, हरियाणा-122010
	जबकि उपर्युक्त नामित आवेदक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तावितियों के विरुद्ध दिनांक 29.07.2024 को रु. 1,22,01,821.71 (रुपये एक करोड़ बीस लाख एक हजार आठ सौ इक्कीस और इक्कासठ पैसे मात्र) की राशि की वसुली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, साथ ही आगे की लागत और ख्याज सहित
	आपको एतद्वारा समन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या दिनांक 17.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे यह कारण दर्शाने हेतु उपस्थित किया जाता है कि मांगी गई राहत प्रदान क्यों नहीं की जाती चाहिए।
	कृपया ध्यान दें कि चुक होने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
	मेरे हस्ताक्षर और इन्स न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 16.09.2026 को दिया गया।
	न्यायाधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।।, बैंगलोर

	माननीय ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।। बैंगलोर के सम्मर्भ में कर्नाटक हेतु बीएसएनएल लिडिंग, चौथी मंजिल, टेलीफोन हाउस, राजमनन रोड, बेंगलुरु-560001
	ओ ए. सं. 2048/ 2024
	मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, एन आर रोड शाखा, नं. 1, पहली मंजिल, नाज कोम्प्लेक्स, तीसरा फ्लोर, एनआर रोड, बैंगलोर-560002
	आवेदक
	बनाम
	श्री अमरिश मौर्य पुत्र प्रकाश मौर्य, फ्लेट नं. 206, सेलिब्रिटी सुट, सेक्टर-23, मुद्रगांव, हरियाणा-122017
	अतिवादी
	ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 23(VIII) के अंतर्गत प्रस्तावित सं. 1 को कागजी प्रकाशन के माध्यम से जारी समन
	प्रतिवादी नं.1: श्री अमरिश मौर्य पुत्र प्रकाश मौर्य, फ्लेट नं.206, सेलिब्रिटी सुट, सेक्टर-23, मुद्रगांव, हरियाणा-122017
	जबकि उपर्युक्त नामित आवेदक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तावितियों के विरुद्ध दिनांक 29.07.2024 को रु. 96,31,183.42/- (रुपये नब्बे लाख इक्कीस हजार दो सौ अठ्ठास और पचास पैसे मात्र) की राशि की वसुली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, साथ ही आगे की लागत और ख्याज सहित
	आपको एतद्वारा समन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या दिनांक 07.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे यह कारण दर्शाने हेतु उपस्थित किया जाता है कि मांगी गई राहत प्रदान क्यों नहीं की जाती चाहिए।
	कृपया ध्यान दें कि चुक होने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
	मेरे हस्ताक्षर और इन्स न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 18.09.2026 को दिया गया।
	न्यायाधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।।, बैंगलोर

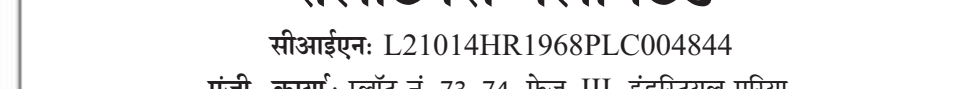
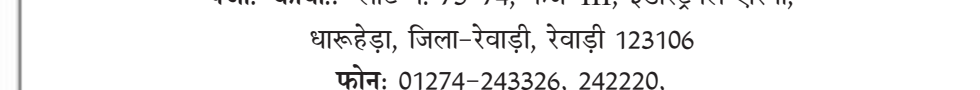
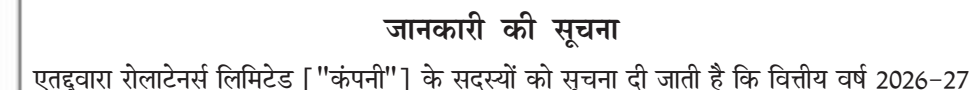
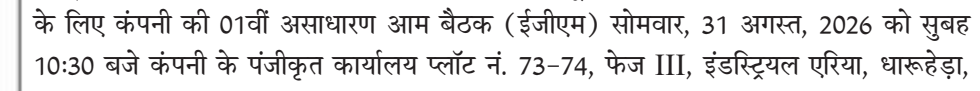
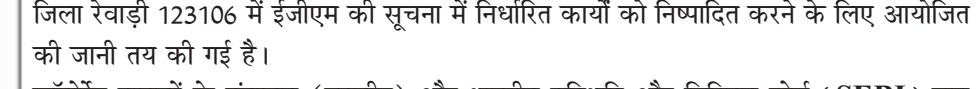
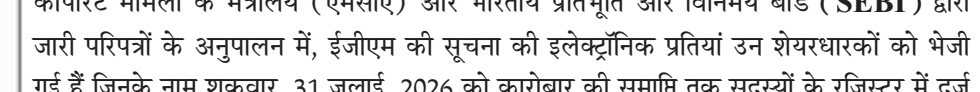
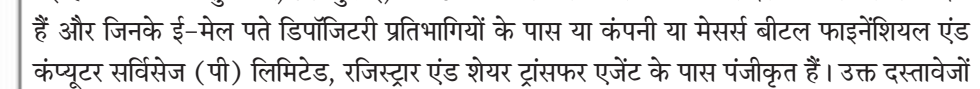
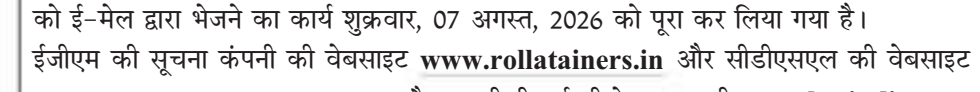
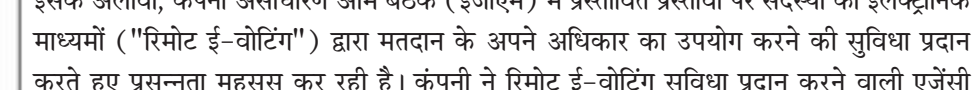
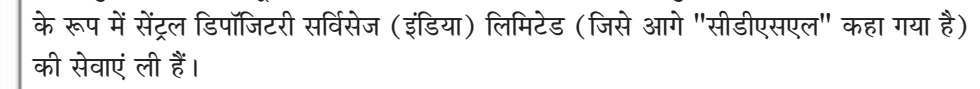
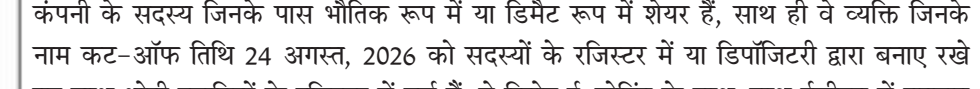
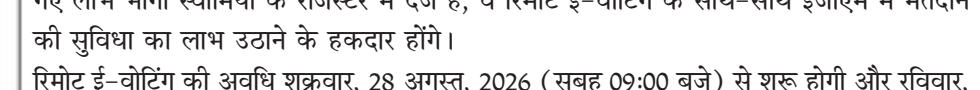
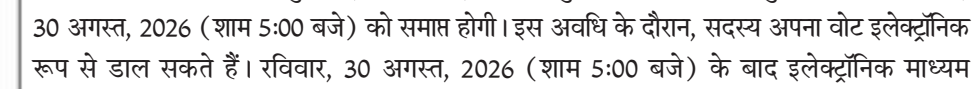
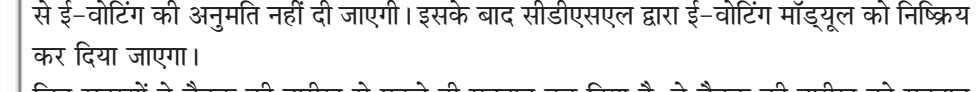
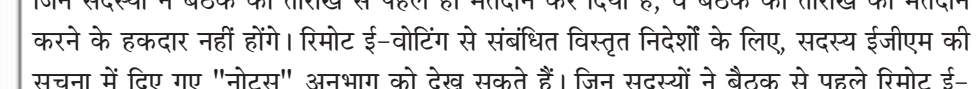
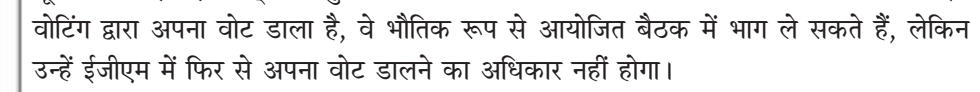
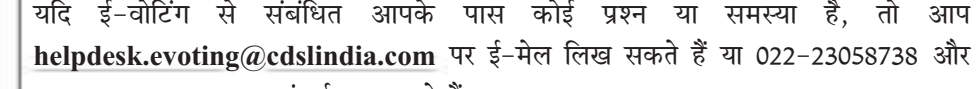
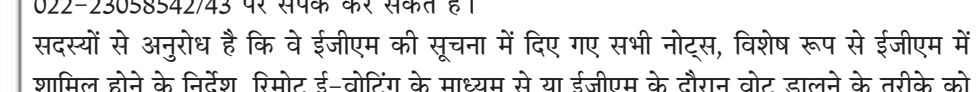
	माननीय ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।। बैंगलोर के सम्मर्भ में कर्नाटक हेतु बीएसएनएल लिडिंग, चौथी मंजिल, टेलीफोन हाउस, राजमनन रोड, बेंगलुरु-560001
	ओ ए. सं. 2074/ 2024
	मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, एन आर रोड शाखा, नं. 1, पहली मंजिल, नाज कोम्प्लेक्स, तीसरा फ्लोर, एनआर रोड, बैंगलोर-560002
	आवेदक
	बनाम
	श्री चंदन त्वागी
	मकान नं. 22, भुलत, एस-31ए, ब्लॉक-एस कीरलएफ केज-।।, मुद्रगांव, हरियाणा-122010
	अतिवादी
	ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 23(VIII) के अंतर्गत प्रस्तावित सं. 1 को कागजी प्रकाशन के माध्यम से जारी समन
	प्रतिवादी नं. 1: श्री चंदन त्वागी
	जबकि उपर्युक्त नामित आवेदक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तावितियों के विरुद्ध दिनांक 29.07.2024 को रु. 67,33,273.47/- (रुपये छह लाख सात सौ अठ्ठास और दो सौ शिरास और तीसरास पैसे मात्र) की राशि की वसुली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, साथ ही आगे की लागत और ख्याज सहित
	आपको एतद्वारा समन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या दिनांक 06.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे यह कारण दर्शाने हेतु उपस्थित किया जाता है कि मांगी गई राहत प्रदान क्यों नहीं की जाती चाहिए।
	कृपया ध्यान दें कि चुक होने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
	मेरे हस्ताक्षर और इन्स न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 18.09.2026 को दिया गया।
	न्यायाधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।।, बैंगलोर

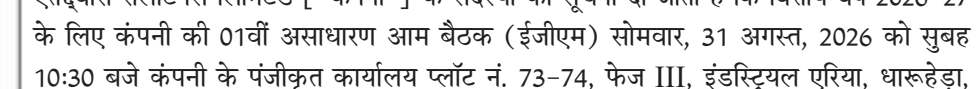
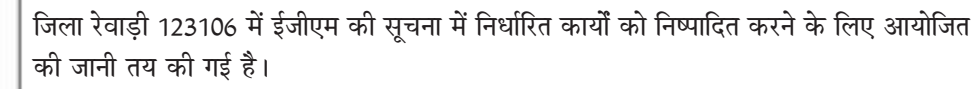
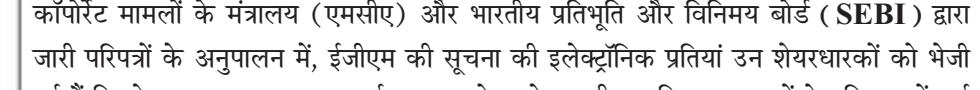
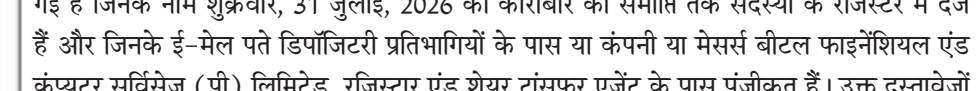
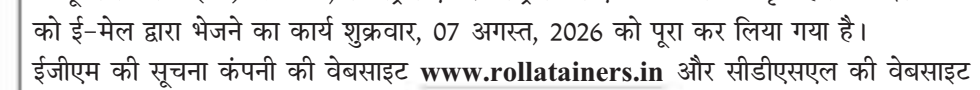
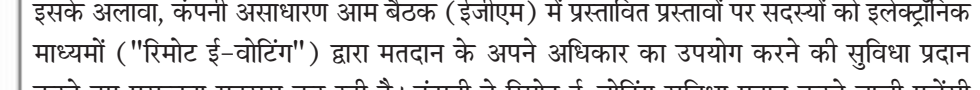
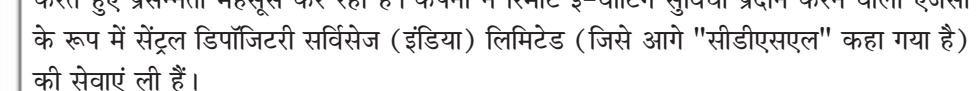
	माननीय ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।। बैंगलोर के सम्मर्भ में कर्नाटक हेतु बीएसएनएल लिडिंग, चौथी मंजिल, टेलीफोन हाउस, राजमनन रोड, बेंगलुरु-560001
	ओ ए. सं. 2068/ 2024
	मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, एन आर रोड शाखा, नं. 1, पहली मंजिल, नाज कोम्प्लेक्स, तीसरा फ्लोर, एनआर रोड, बैंगलोर-560002
	आवेदक
	बनाम
	श्री करण सिंह, पुत्र श्री राघव सिंह कीरलएफ, केज-।।, मुद्रगांव, हरियाणा-122010
	अतिवादी
	ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 23(VIII) के अंतर्गत प्रस्तावित सं. 3 को कागजी प्रकाशन के माध्यम से जारी समन
	प्रतिवादी नं. 3: श्री करण सिंह, पुत्र श्री राघव सिंह कीरलएफ, केज-।।, मुद्रगांव, हरियाणा-122010
	जबकि उपर्युक्त नामित आवेदक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तावितियों के विरुद्ध दिनांक 29.07.2024 को रु. 67,33,273.47/- (रुपये छह लाख सात सौ अठ्ठास और दो सौ शिरास और तीसरास पैसे मात्र) की राशि की वसुली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, साथ ही आगे की लागत और ख्याज सहित
	आपको एतद्वारा समन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या दिनांक 06.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे यह कारण दर्शाने हेतु उपस्थित किया जाता है कि मांगी गई राहत प्रदान क्यों नहीं की जाती चाहिए।
	कृपया ध्यान दें कि चुक होने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
	मेरे हस्ताक्षर और इन्स न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 25.09.2026 को दिया गया।
	न्यायाधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।।, बैंगलोर

	माननीय ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।। बैंगलोर के सम्मर्भ में कर्नाटक हेतु बीएसएनएल लिडिंग, चौथी मंजिल, टेलीफोन हाउस, राजमनन रोड, बेंगलुरु-560001
	ओ ए. सं. 2144/ 2024
	मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, एन आर रोड शाखा, नं. 1, पहली मंजिल, नाज कोम्प्लेक्स, तीसरा फ्लोर, एनआर रोड, बैंगलोर-560002
	आवेदक
	बनाम
	श्री विनोद नासवान
	अतिवादी
	ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 23(VIII) के अंतर्गत प्रस्तावित सं. 1 को कागजी प्रकाशन के माध्यम से जारी समन
	प्रतिवादी नं. 1: श्री विनोद नासवान
	जबकि उपर्युक्त नामित आवेदक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत प्रस्तावितियों के विरुद्ध दिनांक 29.07.2024 को रु. 1,14,57,645.89/- (रुपये एक लाख सत्तर हजार छह सौ पचास और नवसतीस पैसे मात्र) की राशि की वसुली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, साथ ही आगे की लागत और ख्याज सहित
	आपको एतद्वारा समन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या दिनांक 17.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे यह कारण दर्शाने हेतु उपस्थित किया जाता है कि मांगी गई राहत प्रदान क्यों नहीं की जाती चाहिए।
	कृपया ध्यान दें कि चुक होने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
	मेरे हस्ताक्षर और इन्स न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 25.09.2026 को दिया गया।
	न्यायाधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार ऋण वसुली न्यायाधिकरण-।।, बैंगलोर

	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
	CIN: L34103DL1981PLC011375
	पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नैलन मंडेला रोड, वरवंत कुंज, नई दिल्ली-110070
	फोन: +91 (11) 46781000, www.marutisuzuki.com , investor@maruti.co.in
	वीडियो कॉन्फेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओवीएफ) के द्वारा आयोजित होने वाली 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और ई-वॉटिंग पर जानकारी
	1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधिन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रभुत्व और निगमण कंवे (सूचीबद्ध कक्षाएं एवं प्रकृत अवस्थाएं) अधिनियम, 2015 (संक्षिप्त अधिनियम) के साथ पठित अधिनियमों के अनुमूलन में एजीएम की सूचना में निहित किए जाने वाले व्यवस्था के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक, 31 अगस्त 2026 को प्रातः 10:00 बजे (वीसी)/ओवीएफ के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सदस्य https://www.evoting.kfintech.com पर वीसी/ओवीएफ के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे।
	2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उक्त सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिजिटल निगमणियों को पास प्रेषित हैं। उपर्युक्त रिपोर्टों को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.marutisuzuki.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.ncindia.com तथा रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी (आरएफओ) की वेबसाइट www.evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं।
	3. सभी सूचीबद्ध निगमणों के अधिनियम 36(1)(ी) के अनुसार कंपनी उक्त सदस्यों को एक पत्र भेज रही है जिसका ई-मेल पास आरएफओ/डिजिटल निगमणियों के पास प्रेषित नहीं है जिसमें कंपनी की वेबसाइट की वेब-लैक और स्टॉक एक्सचेंज पर प्रकाशित सूचनाएं हैं जहां से वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध की जा सकती है।
	4. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में भागित किया जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वॉटिंग") के माध्यम से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजीएम के रूप में कंफिडेंट टेक्नोलॉजीज लि. ("कंफिडेंट") की सेवाएं हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वॉटिंग और रिमोट ई-वॉटिंग (वोट देने के लिए) के निदेशों का पालन करें जिसका विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।
	5. एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा की उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे सदस्यगण जो एजीएम में उपस्थित हैं और डिजिटल रिमोट ई-वॉटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं दिया है और/अथवा उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया है, कंपनी वे ई-वॉटिंग के दौरान वोटिंग के लिए योग्य होंगे।
	6. ई-वोटिंग के संबंध में सुझाव आईई एवं पासवर्ड सहित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिये गए हैं। वीसी/ओवीएफ के माध्यम से एजीएम में भागित होने के लिए सभी ऑनलाइन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे सदस्यगण जिनके ई-मेल प्राप्त नहीं हुआ है या जिसका ई-मेल पता कंपनी/आरएफओ/डिजिटल निगमणियों के पास प्रेषित नहीं है, वे एजीएम की सूचना में नोट्स में दिये गये निर्देशों का पालन करते अपना लॉगइन क्रेडेंशियल जेनरेट कर सकते हैं।
	7. रिमोट ई-वोटिंग के विवरण इस प्रकार हैं: - रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय: 26 अगस्त 2026 (प्रातः 9:00 बजे) - रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय: 30 अगस्त 2026 (सायं 5:00 बजे) 30 अगस्त 2026 (सायं 5:00 बजे) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	8. ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 24 अगस्त 2026 को सदस्यों के वोटिंग/लाभांशों की सूची में शामिल होना केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाते और एजीएम में प्रतिभागियों के हवाला देंगे।
	9. जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य होने हो तथा कट ऑफ तिथि के पश्चात पारित करते हो, वे एजीएम की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रियाओं को पढ़ें। कंपनी वेबसाइट तथा कंफिडेंट वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वॉटिंग सुविध मूलतः का अवलोकन कर सकते हैं।

रॉलैट रोलैटैन्स लिमिटेड

	संजीवा घोवर
	कार्यकारी अधिकारी एवं कंपनी सचिव
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	रोलैटैन्स लिमिटेड
	सीआईएन: L210141HR1968PLC004844
	पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 73-74, फेज-III, इंडस्ट्रियल एरिया, धारुहोड़ा, जिला-रैवाड़ी, रैवाड़ी 123106
	फोन: 01274-243326, 242220.
	ई-मेल: cs.rollatainers@gmail.com ; वेबसाइट: www.rollatainers.in
	असाधारण आम बैठक और ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना
	एतद्वारा रोलैटैन्स लिमिटेड ["कंपनी"] के सदस्यों को सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी की 01वीं असाधारण आम बैठक (इंजीएम) सोमवार, 31 अगस्त, 2026 को सुबह 10:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 73-74, फेज III, इंडस्ट्रियल एरिया, धारुहोड़ा, जिला रैवाड़ी 123106 में इंजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जानी तय की गई है।
	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, इंजीएम की सूचना की लेट्टरनिंग प्रक्रिया में सेपरधारकों को भेजी गई हैं जिनके नाम शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को कारोबार की समाप्ति तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पते डिजिटल निगमणियों के पास या कंपनी या मेसर्स वॉलेंट रैशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (सी) लिमिटेड, रजिस्टर्ड एंड शेयर ट्रान्स्फर एजेंट के पास प्रेषित हैं। उक्त दस्तावेजों को ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को पूरा कर लिया गया है।

इंजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.rollatainers.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है, साथ ही बीएसई की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और NSE की वेबसाइट यानी www.ncindia.com पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी असाधारण आम बैठक (इंजीएम) में प्रस्तावित प्रस्तावों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई-वॉटिंग") द्वारा मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावना महसूस कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में सेगुल डिजिटलॉजी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (जिसे आगे "सीडीएसएल" कहा गया है) की सेवाएं ली हैं।

कंपनी के सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर हैं, या डिजिटल हो वे व्यक्ति जिसके नाम कट-ऑफ तिथि 24 अगस्त, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में है, साधारणतः द्वारा बनाए रखे गए लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वॉटिंग के साथ-साथ इंजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाते के हकदार होंगे।

रिमोट ई-वॉटिंग की अवधि शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगी और रविवार, 30 अगस्त, 2026 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। रविवार, 30 अगस्त, 2026 (शाम 5:00 बजे) के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वॉटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वॉटिंग प्रक्रिया को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने बैठक को तारीख से पहले हो मतदान कर दिया है, वे बैठक को तारीख को मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई-वॉटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य इंजीएम की सूचना में